परमजीत सिंह जे. *के समक्ष*

इंदर सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा एवं अन्य - उत्तरदाता

1992 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 2536

19 नवंबर 2014

भारत का संविधान 1950 - रिट क्षेत्राधिकार - अनुच्छेद 226/227 - हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 - अधिशेष क्षेत्र कार्यवाही - पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 - अधिशेष क्षेत्र का कब्ज़ा नहीं लिया गया लेकिन भूमि को आवंटियों को आवंटित घोषित कर दिया गया - मुकदमेबाजी के पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा आवंटन को रद्द कर दिया गया - 1953 अधिनियम के तहत लंबित आगे की कार्यवाही 1972 के अधिनियम के लागू होने के बाद उसके तहत निर्धारित की जानी होगी - क्या भूमि सरकार में निहित थी और उस पर कब्ज़ा सरकार ने ले लिया था - अभिनिर्णीत, नहीं - क्या भूमि-मालिक की मृत्यु पर अधिशेष क्षेत्र का कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में पुनर्मूल्यांकन किया जाना है - अभिनिर्णीत, हाँ - रिट याचिका की अनुमति दी गई।

निर्धारित किया गया कि यह निर्धारित किया जाना है कि क्या भूमि सरकार में निहित थी और उस पर राज्य सरकार ने कब्ज़ा कर लिया था।

(पैरा 13)

इसके अलावा निर्धारित किया गया, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर, यदि हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले अधिशेष क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया गया है, तो अधिकारी अधिशेष क्षेत्र के मामले पर फिर से विचार करने और फिर से निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। . यह भी अच्छी तरह से तय है कि जहां चकबंदी होती है या अधिशेष क्षेत्र के मामले को अंतिम रूप देने से पहले भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो मामले को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चकबंदी में क्षेत्र घट या बढ़ सकता है और बड़े जमींदार की मृत्यु की स्थिति में विरासत खुल जाती है जिससे भूमि मृतक के विभिन्न उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत उत्तराधिकारियों के हाथ में कोई अधिशेष क्षेत्र भी नहीं रह जाता है। ऐसी स्थितियों में, अधिशेष घोषित क्षेत्र सरकार में निहित नहीं होता है।

इसलिए, सरकार द्वारा अधिशेष क्षेत्र के उपयोग का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि फैसले के पहले हिस्से में पहले ही देखा जा चुका है, तत्काल मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्ती-हित से कभी भी कब्जा नहीं लिया गया था, खासकर जब कोई कार्रवाई चल रही थी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) ने भूमि-मालिक से कब्जा लेने पर रोक लगा दी। इससे पहले भी, वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश में विशेष रूप से निर्देश दिया था कि अधिशेष घोषित क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि यह क्षेत्र 1953 अधिनियम के तहत सरकार में निहित नहीं है, इसलिए इसे रणजीत राम (सुप्रा) और उजागर सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के तहत फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 22)

इसके अलावा निर्धारित किया गया कि, चंदगी की मृत्यु 29.07.1991 को हो गई, कब्जा लेने से पहले और वित्तीय आयुक्त के समक्ष उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि बड़े जमींदार की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उक्त संशोधन को खारिज कर दिया गया था। चूंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संपत्ति राज्य में निहित नहीं है क्योंकि कब्जा नहीं दिया गया था और अधिशेष कार्यवाही की लंबितता के दौरान बड़े मकान मालिक की मृत्यु हो गई है, इसलिए, उत्तराधिकार फिर से खुल गया। ऐसी स्थिति में, यह मामला सरदारा सिंह के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के तहत पूरी तरह से कवर किया जाएगा।

(पैरा 23)

रमेश हुडा ,याचिकाकर्ताओं के वकील ।
संदीप एस मान, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

परमजीत सिंह, जे.

(1) प्रतिवादी संख्या 3 कलेक्टर कृषक, गोहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत त्वरित रिट याचिका दायर की गई है। और आदेश दिनांक 20.07.1991 (अनुलग्नक पी-5) प्रतिवादी संख्या 2 आयुक्त, रोहतक डिवीजन, रोहतक द्वारा पारित किया गया और आदेश दिनांक 27.08.1991 (अनुलग्नक पी-6) प्रतिवादी संख्या 1 वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित किया गया।
(2) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस आशय के हैं कि याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती चंदगी के खिलाफ अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही शुरू की गई थी और आदेश दिनांक 14.11.1959 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा, कलेक्टर, रोहतक ने 54-11¼ एस.ए. को अधिशेष घोषित किया। उक्त आदेश को वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती के संशोधन को स्वीकार कर लिया, दिनांक 14.11.1959 के आदेश को रद्द कर दिया (अनुलग्नक पी-1) और आदेश दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा मामले को नए निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेज दिया गया। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4, चंदगी और अन्य ने सी.डब्ल्यू.पी-5288-1982 सहित 13 रिट याचिकाएं दायर कीं इस कथन के साथ कि उनका अधिशेष क्षेत्र वर्ष 1976 में प्रतिवादी संख्या 4 ईश्वर सिंह को इस धारणा पर आवंटित किया गया था कि वह हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 12 (3) के संदर्भ में राज्य में निहित है। संक्षेप में 'हरियाणा सीलिंग एक्ट, 1972') इस तथ्य के बावजूद कि कलेक्टर, रोहतक द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.1959 (अनुलग्नक पी-1) को वित्तीय आयुक्त द्वारा दिनांक 05.11.1964 के आदेश (अनुलग्नक पी2) द्वारा रद्द कर दिया गया है।). सीडब्ल्यूपी-5288-1982 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 09.07.1984 के आदेश के तहत यह कहते हुए अनुमति दी थी कि हरियाणा सीलिंग एक्ट, 1972 के तहत याचिकाकर्ताओं को निजी उत्तरदाताओं को भूमि का कब्ज़ा देने का निर्देश देने वाले अधिकारियों के सभी आदेश टिकाऊ नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कब्ज़ा कभी स्थानांतरित नहीं किया गया था। वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) के आलोक में एवं सीडब्ल्यूपी-5288-1982 में पारित आदेश दिनांक 09.07.1984 के आलोक में एवं अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में, कलेक्टर (कृषि), गोहाना ने फिर से पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1953 (संक्षेप में, '1953 अधिनियम') के प्रावधानों के तहत अधिशेष क्षेत्र के मामले पर विचार किया और दिनांक 12.07.1989 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-4) द्वारा 43 मानक एकड़ 1/8 इकाई को अधिशेष घोषित किया गया। यह भी दलील दी गई है कि वित्तीय आयुक्त, पंजाब द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी -2) के बाद याचिकाकर्ताओं को मालिकों को नए सिरे से अनुमेय क्षेत्र आरक्षित करने का अवसर नहीं दिया गया था। यह भी दलील दी गई है कि आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) और आदेश दिनांक 09.07.1984 पारित होने से पहले, हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 22.12.1972 से अस्तित्व में आया था और अधिशेष मामले को हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक था। दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने आयुक्त, रोहतक डिवीजन, रोहतक के समक्ष अपील की, जिन्होंने दिनांक 20.07.1991 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश के तहत निष्कर्ष दर्ज किया कि कार्यवाही पुराने अधिनियम के तहत की गई थी। यानी 1953 अधिनियम का अस्तित्व केवल इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि नीचे के अधिकारी 25 वर्षों से अधिक समय से इस मामले पर सो रहे थे। यह भी कहा गया है कि हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 की धारा 33(2) (ii) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि ऐसी सभी कार्यवाही जो इसके अधिनियमन से पहले लंबित थीं, उन्हें पुराने अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना था। यह भी कहा गया है कि जब कलेक्टर, कृषि एवं आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक ने क्रमशः 12.07.1989 और 20.07.1991 को आदेश पारित किया, तब कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। दिनांक 12.07.1989 और 20.07.1991 के आदेशों से व्यथित महसूस करते हुए, वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के समक्ष इस आधार पर पुनरीक्षण दायर किया गया कि मूल भूमि मालिक चंदगी की मृत्यु 29.07.1991 को हो गई थी और याचिकाकर्ता उनके कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 की धारा 8 के मद्देनजर संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के हकदार थे क्योंकि कार्यवाही अंतिम नहीं हुई थी और अधिशेष क्षेत्र मामले को नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, दिनांक 27.08.1991 (अनुलग्नक पी-6) के आक्षेपित आदेश के तहत, वित्तीय आयुक्त, हरियाणा ने संशोधन को खारिज कर दिया। इसलिए, यह रिट याचिका।
(3) नोटिस के अनुसरण में, उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर लिखित बयान दाखिल किया और स्वीकार किया कि प्रारंभ में, कलेक्टर ने 1953 अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 14.11.1959 के आदेश के तहत 54 एस.ए.11 ¼ यूनिट को

अधिशेष घोषित किया था। गांव में चकबंदी वर्ष 1963-64 में हुई थी। यह भी कहा गया है कि दिनांक 05.11.1964 के आदेश के तहत, वित्तीय आयुक्त, पंजाब ने मामले को नए निर्णय के लिए नहीं भेजा था, बल्कि कलेक्टर को रिट याचिका के पैरा संख्या 3 में उल्लिखित बिंदुओं पर मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था। रिट याचिका के पैराग्राफ 3 और 4 इस प्रकार पढ़ें:

"उपर्युक्त आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, श्री चंदगी ने तत्कालीन पंजाब राज्य के विद्वान वित्तीय आयुक्त के समक्ष 1964-65 का एक आर.ओ.आर नंबर 81 दायर किया। वित्तीय आयुक्त ने उपर्युक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और अपने आदेश दिनांक 5.11.64 द्वारा मामले को वापस कलेक्टर को भेज दिया। उपर्युक्त आदेश दिनांक 5.11.64 की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक पी-2 के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त मामले का रिमांड लेते हुए, विद्वान वित्तीय आयुक्त ने कलेक्टर को विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया: -

(1) जब प्रश्नगत आदेश पारित किए गए तो क्या याचिकाकर्ताओं की भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी?

(2) याचिकाकर्ताओं की कितनी भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है?

(3) निकट भविष्य में पानी की निकासी की क्या संभावना है?

(4) चकबन्दी कब लागू की गयी?

(5) क्या याचिकाकर्ता चाहते हैं, बाढ़ के कारण और समेकन, उनके अनुमेय क्षेत्रों का नए सिरे से चयन करने के लिए? यदि हां, तो क्या उन्हें मानवीय आधार पर अपने स्वीकार्य क्षेत्र को नए सिरे से चुनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि जहां चकबंदी से पूर्व अधिशेष क्षेत्र घोषित किये गये हों और अधिशेष क्षेत्र पर कब्जा नहीं लिया गया हो, वहां प्रभावित भूमि स्वामियों को अपने अनुमन्य क्षेत्र का नये सिरे से चयन करने का अधिकार है।

विद्वान वित्तीय आयुक्त, राजस्व के दिनांक 5.11.64 के उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर के लिए यह अनिवार्य था कि वह विद्वान वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त निर्देशों पर विशेष रूप से विचार करने के बाद मामले को नए सिरे से तय करें। भूमि मालिकों को अपने क्षेत्र का नए सिरे से चयन करना होगा।

4. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान कलेक्टर द्वारा दिनांक 14.11.59 को पारित आदेश जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के पिता चंदगी की भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और जिसे विद्वान वित्तीय आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 5.11.64 द्वारा रद्द कर दिया था और उसे नए सिरे से निर्णय लेने के लिए भेज दिया। मामले को नए सिरे से तय किए बिना, विद्वान उत्तरदाताओं ने वर्ष 1976 में अधिशेष भूमि को अधिशेष मानते हुए आवंटियों को आवंटित कर दिया, जैसा कि विद्वान कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14.11.59 द्वारा घोषित किया था, जिसे बाद में विद्वान वित्तीय आयुक्त ने 5.11.64 को अलग कर दिया था। उपर्युक्त आवंटन के खिलाफ व्यथित महसूस कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इस माननीय उच्च न्यायालय में 1982 की एक सिविल रिट याचिका संख्या 5288 (चंदगी और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य) दायर की, जिसे 9 जुलाई, 1984 को अनुमति दी गई थी। 9 जुलाई 1984 के उपर्युक्त निर्णय की एक प्रति याचिका के साथ अनुबंध पी3 के रूप में संलग्न है।

उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान वित्तीय आयुक्त द्वारा रिमांड के बाद, याचिकाकर्ताओं या उनके पिता की भूमि का निर्धारण भी नहीं किया गया था, अधिशेष घोषित करने की बात क्या की जाए।

(4) उपरोक्त पैरा का उत्तर उत्तरदाताओं द्वारा निम्नानुसार दिया गया है:

"3. रिट याचिका के पैरा नंबर 3 के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि एलडी वित्तीय आयुक्त, पंजाब ने इस पैरा में उल्लिखित पांच बिंदुओं की फिर से जांच करने के लिए मामले को कलेक्टर के पास वापस भेज दिया। गौरतलब है कि गांव महमूदपुर की जमीन की चकबंदी वर्ष 1963-64 में हुई थी। चकबंदी कार्यवाही का लाभ श्री चंदगी राम को भी दिया गया।

4. रिट याचिका का पैरा नंबर 4 गलत है और इसलिए खारिज कर दिया गया है। यह आरोप गलत है कि एलडी वित्तीय आयुक्त पंजाब ने अपने आदेश दिनांक 5.11.64 द्वारा मामले को नए सिरे से तय करने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर यह प्रस्तुत किया गया है कि एलडी वित्तीय आयुक्त, पंजाब ने कलेक्टर को रिट याचिका के पैरा नंबर 3 में उल्लिखित बिंदुओं पर मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था। एलडी वित्तीय आयुक्त, पंजाब ने कभी भी अधिशेष क्षेत्र को गलत घोषित नहीं किया, न ही एलडी वित्तीय आयुक्त, पंजाब द्वारा यह माना गया कि क्षेत्र अधिशेष घोषित करने की कार्यवाही शून्य और शून्य है। एलडी वित्तीय आयुक्त ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 12.7.89 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा स्पष्ट कर दिया था। हालाँकि यह सही है

माननीय उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 5288 में अपना निर्णय सुनाया 1982 ने कलेक्टर द्वारा वर्ष 1976 में किए गए आवंटन आदेश को रद्द कर दिया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कार्यवाही एलडी कलेक्टर के समक्ष लंबित रही, जिन्हें केवल उन पांच बिंदुओं पर मामले की फिर से जांच करनी थी, जिन पर एलडी वित्तीय आयुक्त, राजस्व ने स्पष्टीकरण मांगा था

और कलेक्टर ने दिनांक 12.7.89 को वैध रूप से आदेश पारित किया था, हालांकि आदेश देर से पारित किया गया था लेकिन देरी निश्चित रूप से घातक नहीं थी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कलेक्टर द्वारा इस मामले की पुन: जांच के माध्यम से वित्तीय आयुक्त, राजस्व द्वारा उठाए गए पांच मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले, चंदगी को कलेक्टर द्वारा हर उचित अवसर दिया गया था।
आगे दलील दी गई कि वित्तीय आयुक्त ने कभी भी अधिशेष क्षेत्र को गलत घोषित नहीं किया। उक्त बिंदुओं को कलेक्टर, कृषि द्वारा आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नकपी-4) द्वारा स्पष्ट किया गया था। चूंकि मामला 1953 अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुरू हुआ है, इसलिए, हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(5) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
(6) स्वीकृत तथ्य इस आशय के हैं कि कलेक्टर, रोहतक ने आदेश दिनांक 14.11.1959 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा खसरा नंबर 606 से 608, 1372 से 1375, 1405, 1421 से 1429, 1431 से 14341559 से 1561, 1620,1621, 1618, 1622 से 1627, 1629 से 1634, 1987 से 1994, 2005 से 2001,2067,2068, 2328, 2330, 2321 से 2322, 2327, 2336 , 2363 से 2369, 2377,2388, 2386, 2387, 2389, 3565 से 3567, 6227, 6228, 6343, 6345, 7146,2274, 2275, 7289, 7290, 1544, 1545, 1609, 1607, 1608, 1555, 15 56,1628, 2085, 2086, 1693 घोषित किये। माप 54-11¼ एस.ए. याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती-हित चंदगी के हाथों अधिशेष के रूप में। यह मामला वित्तीय आयुक्त के पास गया था, जिन्होंने दिनांक 05.11.1964 के आदेश के तहत चंदगी और कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका सहित चार संशोधनों पर निर्णय लिया। दिनांक 5.11.1964 के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण (अनुलग्नक पी-2) इस प्रकार है:
"2. मुझे रोहतक जिले के ऐसे क्षेत्रों की व्यक्तिगत जानकारी है। ज़मीन मालिकों की दुर्दशा, जिनके पास व्यावहारिक रूप से खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, वर्णन से परे है क्योंकि जब ज़मीन पानी में डूबी हो और जब खेती के लिए न तो अनुमेय क्षेत्र और न ही अधिशेष क्षेत्र उपलब्ध हो, तो अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी जटिलता यह है कि भूमि को अधिशेष घोषित किए जाने के बाद चकबंदी हुई है और मालिक को चयन करने का अधिकार है। उनके अनुमेय क्षेत्र नये सिरे से। मैं चाहता हूं कि कलेक्टर के पास ये हों निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में मामलों की पुनः जांच की गई:-
(i) क्या याचिकाकर्ताओं की ज़मीनें या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से थीं, बाढ़ के पानी के नीचे जब प्रश्नगत आदेश पारित किए गए थे?
(ii) याचिकाकर्ताओं की कितनी भूमि अभी भी अधीन है पानी?
(iii) पानी के बह जाने की क्या संभावना है निकट भविष्य?
(iv) चकबन्दी कब प्रभावी हुई?
(v) क्या याचिकाकर्ता बाढ़ और चकबंदी के कारण अपने अनुमेय क्षेत्रों का नये सिरे से चयन करना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या मानवीय आधार पर उन्हें अपने स्वीकार्य क्षेत्र को नए सिरे से चुनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि जहां चकबंदी के पूर्व अधिशेष क्षेत्र घोषित किये गये हों तथा अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा नहीं लिया गया हो, वहां प्रभावित भूमि स्वामियों को नये सिरे से अपने अनुमन्य क्षेत्र का चयन करने का अधिकार है?
(7) आदेश दिनांक 05.11.1964 (परिशिष्ट पी-2) में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि अधिशेष घोषित क्षेत्र का कब्ज़ा नहीं लेना है, बल्किm इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा सरप्लस घोषित की गई जमीन को आवंटियों को आवंटित कर दिया गया। उक्त आवंटन को सीडब्ल्यूपी-5288-1982 और अन्य संबंधित रिट याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 09.07.1984 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश के तहत किया गया था, जिसके तहत आवंटन और अधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया गया था। रिमांड आदेश दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसरण में, कलेक्टर, कृषि, गोहाना ने मामले पर नए सिरे से विचार किया और दिनांक 12.07.1989 के आदेश के तहत निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे, जो इस प्रकार है:
"इस प्रकार, चकबंदी के बाद वर्ष 1963-64 में भूमि मालिकों के पास 841 कनाल 9 मरला भूमि थी, जिसमें से 447 कनाल 10 मरला नेहरी, 174 कनाल 3 मरला बरनी, 14 कनाल 4 मरला बंजार कदीम, 5 कनाल 12 मरला गैर मुमकिन थी। भूमि, जो 80 एकड़ 1 कनाल 9 मरला और 73 वीं एकड़ 1/8 इकाई भूमि आती है। भूमि मालिक को अपने अनुमेय क्षेत्र के रूप में 30 एसटीडी एकड़ 1/8 इकाई रखने का अधिकार है। वर्ष 1965 में जल निकास के बाद यह क्षेत्र उनके संतुलन क्षेत्र के रूप में उनके पास चला गया। इस प्रकार उसे 30 एकड़ भूमि देते हुए, 43 एसटीडी एकड़ 1/8 इकाई क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने का आदेश दिया जाता है।''
(8) आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) को आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने आदेश दिनांक 20.07.1991 (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया। वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका को भी दिनांक 27.08.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(9) मैं यह उल्लेख करने के लिए बाध्य हूं कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मामला तैयार नहीं किया और मेरे सामने पर्याप्त रूप से प्रचार नहीं किया। उन्होंने इस न्यायालय को कोई सार्थक सहायता नहीं दी है। मैंने इस मुद्दे पर रिकॉर्ड और कानून का अध्ययन किया है।
(10) विद्वान राज्य के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि कार्यवाही 1953 अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। हालाँकि, हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद, कलेक्टर, एग्रेरियन ने आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी -5) के माध्यम से क्षेत्र को फिर से निर्धारित किया। चूंकि कार्यवाही 1953 अधिनियम के तहत लंबित थी, इसलिए, उक्त अधिनियम के तहत क्षेत्र सही ढंग से निर्धारित किया गया था। विवादित आदेश कानूनी और वैध हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
(11) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है।
(12) यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रारंभ में, कलेक्टर, रोहतक ने आदेश दिनांक 14.11.1959 (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से 54-11¼ एस.ए. को अधिशेष घोषित किया था। दिनांक 14.11.1959 के आदेश को अंततः वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने वास्तव में कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वित्तीय आयुक्त के आदेश में उल्लिखित विभिन्न बिंदुओं की फिर से जांच करने के लिए भेज दिया और पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया। इस आदेश का. इसके बाद, कलेक्टर, कृषि, गोहाना ने आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया। रिमांड आदेश पारित होने से पहले, वर्ष 1963-64 में समेकन शुरू हो गया था। दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) के आक्षेपित आदेश के तहत, कलेक्टर, कृषि ने रिमांड आदेश में वित्तीय आयुक्त द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद, क्षेत्र को फिर से निर्धारित किया था और 43 एसटीडी एकड़ 1/8 यूनिट क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 1953 अधिनियम के अनुसरण में, आवंटियों को राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटन किया गया था, जिसे अंततः इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीडब्ल्यूपी में पारित आदेश दिनांक 09.07.1984 (अनुलग्नक पी -3) द्वारा रद्द कर दिया था। -5288-1982 और अन्य संबंधित रिट याचिकाएँ। इसके बाद, कलेक्टर, एग्रेरियन ने 43 एसटीडी एकड़ 1/8 यूनिट को अधिशेष घोषित कर दिया। मतलब, क्षेत्र के पुनर्निर्धारण तक भूमि राज्य में निहित नहीं हुई थी। आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4) पारित होने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया और उस आदेश को आयुक्त एवं वित्तीय आयुक्त के समक्ष चुनौती भी दी गई। जब कार्यवाही वित्तीय आयुक्त के समक्ष लंबित थी, उस समय तक, यानी 29.07.1991 को, चंदगी की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार खुल गया।
(13) यह निर्धारित किया जाना है कि क्या भूमि सरकार में निहित थी और उस पर राज्य सरकार ने कब्ज़ा कर लिया था।
(14) उपरोक्त बिंदु का उत्तर देने से पहले, मैं कानून की स्थापित स्थिति का उल्लेख करना उचित समझता हूं।
(15) **सुदर्शन कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[1] में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नानुसार निर्धारित किया गया : - "तर्क के दौरान, यह निर्विवाद रहा कि यदि वर्ष 1973 तक अधिशेष घोषित की गई भूमि, जब 1972 का अधिनियम अस्तित्व में आया, का उपयोग या तो अधिनियम के प्रावधानों के अस्तित्व में आने से पहले या देवकी की मृत्यु होने तक नहीं किया गया हो, तो अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के पास कोई विकल्प नहीं था लेकिन देवकी के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। इस संबंध में रंजीत राम बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब, 1981 पी.एल.जे 259 में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। उजागर सिंह (मृत) एल.आर. बनाम कलेक्टर, बठिंडा और अन्य द्वारा, 1996 पीएलजे 505: 1996(3) आरसीआर (सिविल) 446। इस प्रकार, पूर्ण पीठ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उस स्थिति को कवर करते हैं जब 1972 का अधिनियम लागू हुआ और भूमि का उपयोग नहीं किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदेश प्रस्ताव यह है कि जब भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है और भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसका कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अजीत कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1980 पीएलजे 354 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है।

(16) **रंजीत राम बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब और अन्य**[2] में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कानून के तीन प्रश्न तैयार किए, हालांकि, प्रश्न संख्या 1 इस रिट याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

"(1) क्या कोई भूस्वामी, जिसकी भूमि को पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1953 (इसके बाद पंजाब कानून के रूप में संदर्भित) के तहत या पेप्सू टेनेंसी के तहत अधिशेष घोषित किया गया है और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 (इसके बाद पेप्सू कानून के रूप में संदर्भित) और जिसे पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (इसके बाद सुधार अधिनियम के रूप में संदर्भित)

---

[1] 2004(4) RCR (Civil) 283
[2] 1981 (83) PLR 492

के लागू होने से पहले अधिशेष क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित नहीं किया गया है, वह अपने परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का हकदार है और सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर उसके प्रत्येक वयस्क पुत्र के लिए?"

(17) **रंजीत राम** (सुप्रा) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 के उत्तर का एक प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"10. मेरी सुविचारित राय में, सुधार अधिनियम की धारा 5(2), 8, 9(1), 11(2) और 11(5) के प्रावधानों को लागू करने में विधायिका द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देने में किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधान केवल प्रक्रियात्मक हैं और सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 4 के तहत परिभाषित अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सुधार अधिनियम की धारा 8 अप्रयुक्त अधिशेष क्षेत्र को राज्य सरकार में निहित करने से संबंधित है। जैसा कि पहले ही प्रेक्षित किया गया है, इस खंड में पूर्ण खेल होगा, भले ही प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक हो। यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है तो धारा 8 निरर्थक हो जाएगी। धारा 9(1) अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के लिए कलेक्टर की शक्ति से संबंधित है और सुधार अधिनियम की धारा 4 और 5 में निहित अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र की परिभाषा की व्याख्या करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देती है। धारा 11(2) के तहत राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पंजाब कानून, पेप्सू कानून या सुधार अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एक योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। धारा 11 की उपधारा (5) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत अर्जित भूमि के मामले को छोड़कर पंजाब कानून, पेप्सू कानून या सुधार अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र में शामिल भूमि का विरासत, कोई हस्तांतरण या अन्य स्वभाव राज्य सरकार में निहित होने या सुधार अधिनियम के तहत इसके उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा। भले ही प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक हो, धारा 11 की उपधारा (2) या उपधारा (5) के प्रावधानों का पूरा प्रभाव रहेगा। जहां तक सुधार अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों का संबंध है, मैं पहले ही फैसले के पहले भाग में देख चुका हूं कि उक्त प्रावधान यह संकेत देता है कि जहां कोई व्यक्ति पंजाब कानून की धारा 4 और धारा 5(1) में परिभाषित अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का मालिक है या रखता है, उनके मामलों को सुधार अधिनियम.11 के प्रावधानों के अनुसार पुन: संसाधित किया जाना चाहिए। ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, मैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक देता हूं और मानता हूं कि एक भूमि मालिक, जिसकी भूमि को पंजाब कानून के तहत या पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित किया गया है और जिसे सुधार अधिनियम के लागू होने से पहले अधिशेष क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित नहीं किया गया है, वह अपने परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का हकदार है और

सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर उनके प्रत्येक वयस्क पुत्र के लिए"

(18) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एलआर द्वारा **उजागर सिंह (मृत) बनाम कलेक्टर, बठिंडा**[3] के मामले में **रंजीत राम** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किया है और निम्नानुसार निर्धारित किया है:
"7. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने यह रुख नहीं अपनाया कि पंजाब अधिनियम के तहत, अपीलकर्ता के पास कोई अधिशेष क्षेत्र है। हालाँकि, उन्होंने **अमर सिंह बनाम अजमेर सिंह, 1994(3) आर.आर.आर. 90 :1994(3) एससीसी 213** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। अनुपूरक, जहां यह कहा गया है कि केवल इसलिए कि भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और भूमि मालिक के उत्तराधिकारियों के कब्जे में रही, अप्रासंगिक थी। इस न्यायालय का पूर्वोक्त निर्णय हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 से संबंधित है जो 14.01.2019 से लागू हुआ। 23.12.1972. उपरोक्त निर्णय के केवल संदर्भ से, यह प्रतीत होगा कि इसके तहत निहितीकरण नियत तिथि पर होता है। उस अधिनियम के तहत पेप्सू अधिनियम की धारा 32-ई (ए) जैसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अपीलकर्ता के संबंध में अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया था। इस प्रकार, **अमर सिंह बनाम अजमेर सिंह** (सुप्रा) के मामले में उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी-राज्य के

[3] 1996(3) RCR (Civil) 446

लिए कोई मदद नहीं है। सामान्य तौर पर, हमने प्रतिवादी-राज्य को पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता और उसके चार वयस्क बेटों द्वारा रखी गई अतिरिक्त भूमि के सवाल की जांच करने का निर्देश दिया होगा, लेकिन एक स्वीकृत स्थिति के मद्देनजर यदि कोई ताजा कार्यवाही पंजाब अधिनियम के तहत शुरू की जानी है, किसी भी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे किसी भी निर्देश जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ पेप्सु अधिनियम या पंजाब अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

(19) वर्तमान मामले में, 1953 अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र मामले के लंबित रहने के दौरान चकबंदी हुई है और भूमि की माप बिगहा बिस्वास से कनाल-मरलास में बदल दी गई है।

(20) इस न्यायालय ने **मगहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[4] में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -
"अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा का अवसर तभी उत्पन्न होगा जब कोई भूस्वामी अनुमेय सीमा से अधिक भूमि रखेगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि केवल वह क्षेत्र जो अनुमेय सीमा से अधिक है, उसे अधिशेष घोषित किया जा सकता है। यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित है और इस बीच चकबंदी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुल क्षेत्रफल जिस पर भूमि मालिक हकदार हो जाता है, वह पहले से उसके पास मौजूद क्षेत्र से कम है, मेरी राय में, यह नया क्षेत्र है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि उस क्षेत्र को जो चकबंदी से पहले उनके पास था। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कलेक्टर को चकबंदी द्वारा भूस्वामी के स्वामित्व वाले क्षेत्र में आई कमी को ध्यान में रखने से रोकता हो। विचाराधीन अधिनियम कानून का एक टुकड़ा है जिसके परिणामस्वरूप ज़ब्ती होती है और इस प्रकार इसके प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और जब तक कोई मामला अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, लाभ भूमि मालिक के पक्ष में जाना चाहिए।

(21) **हरचंद सिंह बनाम कलेक्टर, एग्रेरियन, भटिंडा और अन्य**[5] में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -
"5. अब यह रेखांकित करने योग्य है कि इस न्यायालय के भीतर एक लंबे समय से अटूट मिसाल कायम है कि यदि अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही पूरी होने और अंतिम रूप देने से पहले चकबंदी के कारण किसी भूस्वामी के क्षेत्र में कमी आ जाती है, तो क्या वह यह दावा करने का हकदार होगा कि उसका नया क्षेत्र उसके अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए उस क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए न कि उस क्षेत्र पर जो विचार करने से पहले उसके पास था। जाहिरा तौर पर हरबम सिंह, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने **बचन सिंह और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब, 1962 के सी.डब्ल्यू.पी नं. 1366, 14 फरवरी, 1963** निर्धारित किया गया था। इस दृष्टिकोण को एच.आर. का समर्थन मिला। **मगहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1964 पीएलजे 155** में खन्ना, जे. (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) और इसे इस प्रकार प्रेक्षित किया गया:

"अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा का अवसर तभी उत्पन्न होगा जब कोई भूस्वामी अनुमेय सीमा से अधिक भूमि रखेगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि यह केवल वह क्षेत्र है जो अनुमेय सीमा से अधिक जिसे वह अधिशेष घोषित कर सकता है। यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित है और इस बीच चकबंदी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुल क्षेत्र जिस पर भूमि मालिक हकदार हो जाता है, वह पहले के क्षेत्र से कम है मेरी राय में, यह वह नया क्षेत्र है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, न कि वह क्षेत्र जो चकबंदी से पहले उसके पास था। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कलेक्टर को लाए गए कटौती को ध्यान में रखने से रोकता है चकबन्दी द्वारा किसी भूस्वामी के स्वामित्व वाले क्षेत्र के बारे में। विचाराधीन अधिनियम कानून का एक टुकड़ा है जिसके परिणामस्वरूप ज़ब्ती होती है और इस प्रकार इसके प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और जब तक कोई मामला अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, लाभ भूमि मालिक के पक्ष में जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय अपील के अधीन था और **पंजाब राज्य और अन्य बनाम मघर सिंह, 1969 पीएलजे 323** में लेटर्स पेटेंट बेंच ने इसके अनुपात को और भी अधिक सख्ती के साथ दोहराया।

---

[4] 1964 PLJ 155
[5] 1979 PLJ 70

6. समान रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि अमर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1966 पीएलजे 81 में ए.एन. ग्रोवर, जे. द्वारा एक समान दृष्टिकोण लिया गया है, और नरूला, जे. (जैसा वह तब था) **भाग सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1966 पीएलजे 238** में। **जंग सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1970 पीएलजे 93** में, जिसमें मैं एक पक्ष था, रिट याचिका को सीधे डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा पहले कानून की प्रतिपादन के साथ अपनी सहमति व्यक्त की थी और उसके अनुसार याचिका स्वीकार कर ली।
7. मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हमें इस मुद्दे पर किसी भी गंभीर बहस का लाभ नहीं मिला है। याचिकाकर्ता के वकील ने अनिवार्य रूप से ऊपर देखे गए निर्णयों की कैटेना पर भरोसा किया और उनकी पुष्टि के लिए प्रचार किया। हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश हुए श्री सयाल ने स्पष्ट रूप से उसमें दिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता को चुनौती देने में अपनी असमर्थता स्वीकार की और निष्पक्ष रूप से कहा कि इसके विपरीत एक भी निर्णय नहीं था। वास्तव में उन्होंने अंततः स्वयं यह रुख अपनाया कि एकल पीठ और डिवीजन बेंच के निर्णयों के त्रुटिहीन तर्क में कोई दोष नजर नहीं आया, जिस पर संभवतः किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता हो। न ही कोई यह याद कर सकता है कि आजादी के बाद भूमि सुधार कृषि कानून पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1953 और पेप्सू टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1955 द्वारा शुरू किया गया था। समेकन कार्यवाही के संदर्भ में इन दोनों प्रावधानों के तहत अधिशेष क्षेत्र के संबंध में इस न्यायालय के स्थापित दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र को असंगत टिप्पणी के बिना रखा है। उपरोक्त संदर्भ में, हम इस बिंदु पर अधिकारियों की कतार से विचलित होने का कोई भी कारण समझने में असमर्थ हैं। एक संक्षिप्त टिप्पणी के अलावा, संदर्भ देने वाली डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने उसमें उठाए गए संदेह के कारणों का पर्याप्त रूप से संकेत नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को उनके आधिपत्य के समक्ष पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं किया गया था और न ही उन्होंने अधिकारियों को विस्तार से बताया था या उनके तर्क को खारिज करने की मांग की थी। सम्मान के साथ हम यह मानने में असमर्थ हैं कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय का स्थापित दृष्टिकोण किसी भी पुनर्विचार या विचलन की मांग करता है। इसलिए, हम उपरोक्त नोटिस के तर्क और निर्णय के अनुपात की फिर से पुष्टि करेंगे।

(22) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले अधिशेष क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया गया है, तो अधिकारी अधिशेष क्षेत्र मामले पर फिर से विचार करने और फिर से निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। यह भी अच्छी तरह से तय है कि जहां चकबंदी होती है या अधिशेष क्षेत्र के मामले को अंतिम रूप देने से पहले भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो मामले को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चकबंदी में क्षेत्रफल घट या बढ़ सकता है बड़े जमींदार की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकार खुल जाता है, जिससे भूमि मृतक के विभिन्न उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत उत्तराधिकारियों के हाथों में कोई अधिशेष क्षेत्र भी नहीं रह जाता है। ऐसी स्थितियों में, अधिशेष घोषित क्षेत्र सरकार में निहित नहीं होता है। इसलिए, सरकार द्वारा अधिशेष क्षेत्र के उपयोग का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि फैसले के पहले हिस्से में पहले ही देखा जा चुका है, तत्काल मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्ती-हित से कभी भी कब्जा नहीं लिया गया था, खासकर जब इस न्यायालय द्वारा भूमि-मालिक से कब्ज़ा लेने पर रोक लगाते हुए दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) पारित एक आदेश लागू था। इससे पहले भी, वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 05.11.1964 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश में विशेष रूप से निर्देश दिया था कि अधिशेष घोषित क्षेत्र का कब्ज़ा नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि यह क्षेत्र 1953 अधिनियम के तहत सरकार में निहित नहीं है, इसलिए इसे **रणजीत राम** (सुप्रा) और **उजागर सिंह** के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर हरियाणा सीलिंग अधिनियम, 1972 के तहत फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

(23) माना जाता है कि चंदगी की मृत्यु कब्जा लेने से पहले 29.07.1991 को हो गई थी और वित्तीय आयुक्त के समक्ष उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी गई थी, विशेष रूप से यह कहते हुए कि बड़े जमींदार की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उक्त पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया था। चूंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संपत्ति राज्य में निहित नहीं है क्योंकि कब्जा नहीं दिया गया था और अधिशेष कार्यवाही की लंबितता के दौरान बड़े मकान मालिक की मृत्यु हो गई है, इसलिए, उत्तराधिकार फिर से खुल गया। ऐसी स्थिति में, यह मामला **सरदारा सिंह** के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के तहत पूरी तरह से कवर किया जाएगा। निर्णय के पैरा 41 और 42 में माननीय पूर्ण पीठ द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ, जिनका वर्तमान मामले में लाभप्रद रूप से पालन किया जा सकता है, इस प्रकार पढ़ें:-
"41. इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि अजीर कौर के मामले में दो विचारों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने के लिए और इस अधिनियम की धारा 11(50 और 11(7) के प्रावधान की सही व्याख्या करने के लिए, हमें अजमेर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सहायता लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि जब तक अधिशेष क्षेत्र कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित

नहीं किया जाता है और अपील/संशोधन खारिज कर दिए गए हैं, भूस्वामी की मृत्यु निश्चित रूप से अधिशेष क्षेत्र पर प्रभाव डालेगी जिसे उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

42. परिणामस्वरूप, जहां अधिशेष क्षेत्र अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है और मामला राजस्व न्यायालयों के समक्ष या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील या संशोधन में लंबित है, भूस्वामी की मृत्यु से अधिशेष क्षेत्र प्रभावित होगा जिसे मृत भूस्वामी के उत्तराधिकारियों के हाथों में पुनर्निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। इस तरह की व्याख्या धारा 11(5) और 11(7) के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से निर्माण करेगी और अजीत कौर के मामले में व्यक्त दोनों विचारों की उचित व्याख्या भी करेगी। हालाँकि, हम जसबीर कौर के मामले में इस अदालत के फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ हैं क्योंकि अजीत कौर के मामले पर माननीय डिवीजन बेंच द्वारा विचार ही नहीं किया गया था। जहां तक मंजीत कौर के मामले का संबंध है, भले ही अजीत कौर के मामले पर विचार किया गया था, लेकिन बहुमत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।

(24) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ और इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, इस न्यायालय का सुविचारित विचार है कि वर्तमान मामले की दी गई तथ्यात्मक स्थिति में, तत्काल रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेश दिया गया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.07.1989 (अनुलग्नक पी-4), आदेश दिनांक 20.07.19 (अनुलग्नक पी-5) और आदेश दिनांक 27.08.1991 (अनुलग्नक पी 6) को अलग रखा जाता है।

(25) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(26) हालाँकि, अधिकारी मृतक चंदगी के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh